कार्यालय जनपद न्यायाधीश, फिरोजाबाद।

सूचना

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र सं०-10670/एडमिन 'जी'-1, दिनांकित 21-11-2020 के अनुपालन में उत्तर प्रदेश के शासनादेश संख्या-102/सात-न्याय-2 2015-728/86 दिनांकित 18-06-2015 के अधीन तथा जनपद न्यायाधीश, फिरोजाबाद से विचार विमर्श के उपरान्त परिवार न्यायालय में परामर्शदाता की आबद्धता के सम्बन्ध में निम्न लिखित प्रकिया के अधीन कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम 1984 के अधीन आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते है।

1- अर्ह व्यक्तियो से आवेदन-पत्र राज्य सरकार आमंत्रित करेगी।

2- यह प्रयास किया जायेगा कि व्यक्ति उसी जिले में सम्बन्धित हो जहां पर पारिवारिक न्यायालय स्थित हो। यदि इस तरह का कोई व्यक्ति नही मिलता है तो उस दशा में दूसरे जिले के लोगो को परामर्शदाता के रूप में नियुक्त करने में कोई बाधा नही है।

3- शैक्षिक अर्हता हेतु यह ध्यान रखा जायेगा कि अर्ह व्यक्ति समाजशास्त्र या मनोविज्ञान में से किसी एक विषय में स्नातक की डिग्री रखता हो और उसे समाज सेवा का अनुभव हो। इस हेतु विज्ञापन में इस बात का उल्लेख हो कि जो व्यक्ति सामाजिक कार्य में मास्टर डिग्री धारक है और पारिवारिक कौन्सिलिंग में जिन्हे दो वर्ष का अनुभव है उन्हे वरियता दी जायेगी।

4- विज्ञापन के समय परामर्शदाता की आयु 35 से 65 के बीच होनी चाहिए।

5- आवेदन-पत्र प्राप्त होने के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा इसकी स्क्रूटनी की जायेगी और यथासम्भव एक पद के सापेक्ष पांच लोगों की सूची तैयार की जायेगी।

6- राज्य सरकार से अर्ह परामर्शदाता की सूची प्राप्त होने पर माननीय उच्च न्यायालय परिवार एवं बाल विकास से सम्बन्धित योग्य विशेषज्ञ से विचार करने के उपरान्त उनके नाम की संस्तुति राज्य सरकार से करेगी।

7- परामर्शदाता पद हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रेषित नामों के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय प्रत्येक नामों पर विचार करेगी। राज्य सरकार माननीय उच्च न्यायालय की संस्तुति के आधार पर अधिसूचना जारी करेगी।

8- परामर्शदाता का कार्यकाल प्रारम्भ में तीन वर्ष का होगा माननीय उच्च न्यायालय की संस्तुति के आधार पर 03 वर्ष के लिए उसके नाम पर पुर्नविचार किया जा सकता है।

9- परामर्शदाता के पद पर नियुक्ति शासकीय सेवा में नियुक्ति नही मानी जायेगी और वे न्यायालय से संविदा के आधार पर सम्बन्ध रहेंगे।

Scanned with CamScanner

उक्त प्रक्रिया के अन्तर्गत परामर्शदाता के आबद्धता हेतु इच्छुक अभ्यर्थी अपने आवेदन–पत्र स्व प्रमाणित फोटो सहित दिनांक 17-12-2020 तक प्रशासनिक कार्यालय, जनपद न्यायालय, फिरोजाबाद में अनिवार्य रूप से शाम 05:00 बजे तक उपलब्ध करा दें। इसके पश्चात प्राप्त कोई भी आवेदन–पत्र स्वीकार नही किया जायेगा।

7/12/2020

(जितेन्द्र सिंह)
सदस्य,
परामर्शदात्री समिति/
अपर जिला जज कोर्ट न०-09,
फिरोजाबाद।

7/12/2020

(डा०केशव गोयल)
सदस्य,
परामर्शदात्री समिति/
अपर जिला जज कोर्ट न०-08,
फिरोजाबाद।

7/12/2020

(महेश नौटियाल)
अध्यक्ष,
परामर्शदात्री समिति/
अपर जिला जज कोर्ट न०-01,
फिरोजाबाद।

प्रतिलिपिः-

1- जनपद न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
2- जनहित में निःशुल्क प्रकाशनार्थ प्रमुख समाचार पत्रों में।(जिला सूचना कार्यालय हेतु)
3- अध्यक्ष/मंत्री, जिला बार एसोशियेशन, फिरोजाबाद।
4- जिलाधिकारी कार्यालय (N.I.C. की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)।
5- सिस्टेम असिस्टेन्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, फिरोजाबाद। (जिला न्यायालय E-Court की वेबसाइट पर अपलोड हेतु)।

Approved.

7/12/2020

District Judge,
Firozabad.
07-12-2020

DISTRICT JUDGE
FIROZABAD

Scanned with CamScanner

APPLICATION FOR THE POST OF COUNSELOR

1. Full name of the Applicant (In Capital Letter) :..

2. Father's Name :..

Self Attested
Photo of Applicant

3. Date of Birth :..

4. Home Town with address :.. ....

....

....

5. Qualification :.. ....

6. Designation with Present place of posting, if any :.. ....

7. Experience (in details) :.. ....

....

Date:.................................

Signature of Applicant

Scanned with CamScanner